मंजिली गाड़ी अधिनियम, 1861

धाराओं का क्रम

धाराएं

उद्देशिका।

1. मंजिली गाड़ी की परिभाषा।

2. गाड़ियां अनुज्ञप्त होंगी।

3. अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करने की शक्ति।

अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां।

4. अनुज्ञप्ति के लिए प्रभार और उसकी कालावधि।

5. विशिष्टियों का गाड़ी के सहजदृश्य भाग पर रंग से अंकित किया जाना।

6. विशिष्टियों को बिना रंग से अंकित किए गाड़ी को भाड़े पर चलाने के लिए शास्ति।

7. अनुज्ञप्त गाड़ी को भाड़े पर उठाने के लिए शास्ति।

8. जो संख्या अनुज्ञप्ति द्वारा उपबन्धित है उससे कम पशुओं द्वारा गाड़ी खींची जाने के लिए अथवा उससे अधिक यात्रियों का प्रवहरण करने के लिए शास्ति।

9. पशुओं के प्रति क्रूर व्यवहार के लिए शास्ति।

10. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण।

11. धारा 5 के उपबन्धों के अनुपालन न करने के लिए शास्ति।

12. चालकों के अवचार के लिए शास्ति।

13. शास्ति कब स्वत्वधारी से वसूलीय होगी।

परन्तुक।

14. समन निकाला जाना।

15. शास्तियों का न्यायनिर्णयन।

16. शास्तियों आदि की वसूली।

17. करस्थम् के वारण्ट के लौटने तक अपराधी पकड़ा और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जा सकेगा।

18. करस्थम् के अपर्याप्त होने पर अपराधी को कारावास।

19. [यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों से शास्ति और व्यय की वसूली।]।

20. अधिकारिता।

20क. नियम बनाने की शक्ति।

21. निर्वचन खण्ड—"मजिस्ट्रेट"

अधिनियम का उन सब पशुओं को लागू होना जो गाड़ी खींचने के लिए काम में आते हैं।

22. अधिनियम का विस्तार।

23. छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति।

[1][मंजिली गाड़ी अधिनियम, 1861]

(1861 का अधिनियम संख्यांक 16)

[7 जुलाई, 1861]

**मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञापन एवं
विनियमन के लिए
अधिनियम**

उद्देशिका—यत: प्रान्तों में मंजिली गाड़ियों का अनुज्ञापन और विनियमन करना समीचीन है; अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. मंजिली गाड़ी की परिभाषा—एक या अधिक[2] घोड़ों से खींची जाने वाली हर गाड़ी, जो मामूली तौर पर राज्यों में किसी स्थान को या से भाड़े पर यात्रियों का प्रवहण करने के प्रयोजन से काम में लाई जाती है, ऐसी गाड़ी की आकृति या बनावट का ध्यान किए बिना इस अधिनियम के अर्थ में मंजिली गाड़ी समझी जाएगी ।

[3]* * * * *

2. गाड़ियां अनुज्ञप्त होंगी—कोई भी गाड़ी मंजिली गाड़ी के तौर पर तब के सिवाय काम में नहीं लाई जाएगी जब कि किसी [4]मजिस्ट्रेट अथवा प्रेसिडेन्सी नगर के [5]*** पुलिस आयुक्त द्वारा उसे अनुज्ञापित कर दिया गया है ।

3. अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करने की शक्ति—वह मजिस्ट्रेट अथवा [5]*** पुलिस आयुक्त जिससे मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापन के लिए आवेदन किया गया है, उसे अनुज्ञप्त करने से इन्कार उस दशा में कर सकेगा जिसमें कि उसकी यह राय है कि ऐसी मंजिली गाड़ी काम में लाने योग्य नहीं है अथवा लोक आवास या उपयोग के लिए असुरक्षित अथवा अनुपयुक्त है ।

अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां—यदि उपर्युक्त कोई मजिस्ट्रेट अथवा [5]*** पुलिस आयुक्त अनुज्ञप्ति देता है, तो अनुज्ञप्ति में उसकी संख्या, मंजिली गाड़ी के स्वत्धारी का नाम और निवास स्थान, वह स्थान जहां उसका मुख्य कार्यालय है, यात्रियों की अधिकतम संख्या और सामान का वह अधिकतम वजन, जो ऐसी गाड़ी में अथवा उसके द्वारा वहन किया जाना है, उन घोड़ों की संख्या जिनके द्वारा ऐसी गाड़ी खींची जानी है और उस स्थान का नाम जहां ऐसी गाड़ी अनुज्ञप्त की गई है, दिए जाएंगे ।

4. अनुज्ञप्ति के लिए प्रभार और उसकी कालावधि—[6][प्रत्येक ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए मंजिली गाड़ी के स्वत्वधारी द्वारा पांच रुपए या उससे कम ऐसी राशि, जैसी राज्य सरकार निर्धारित करे, दी जाएगी और ऐसी अनुज्ञप्ति उस तारीख से एक वर्ष तक प्रवृत्त रहेगी ।]

जहां कोई अनुज्ञप्त मंजिली गाड़ी वर्ष के भीतर ही किसी नए स्वत्वधारी को अंतरित की जाती है, वहां उस आशय के आवेदन पर ऐसे नए स्वत्वधारी का नाम अनुज्ञप्ति में उस वर्ष के लिए कोई अतिरिक्त अदायगी बिना लिए भूतपूर्व स्वत्वधारी के नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुज्ञप्ति से स्वत्वधारी प्रतीत होता है, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के निमित्त ऐसा स्वत्वधारी समझा जाएगा ।

---

[1] संक्षिप्त नाम, भारतीय संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1897 (1897 का 14) द्वारा दिया गया ।

यह अधिनियम, मंजिली गाड़ी अधिनियम, (1861) संशोधन अधिनियम, 1898 (1898 का 1) द्वारा संशोधित भारत के सभी राज्यों को लागू घोषित किया गया लेकिन स्थानीय विधि जो उस विषय से संबंधित है, के उपबन्धों का अधिक्रमण और उल्लंघन न करे—देखिए, धारा 22 । स्थानीय विधि के लिए देखिए—बाम्बे लोक वाहन अधिनियम, 1920 (बाम्बे 1920 का 7), मद्रास भाड़ा गाड़ी अधिनियम, 1911 (मद्रास 1911 का 5) और कलकत्ता भाड़ा गाड़ी अधिनियम, 1919 (बंगाल 1919 का 1), "स्पष्टीकरण" के लिए भाड़ा गाड़ी अधिनियम, 1879 (1879 का 14) देखिए ।

यह अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अनुसूचित जिलों में प्रवृत्त घोषित किया गया—

हजारी बाग, लोहारडागा (अब जिला रांची—
देखिए कलकत्ता राजपत्र, 1899 भाग 1, पृष्ठ 44) तथा मानभूम जिला और
सिंहभूम जिले में परगना दालभूम तथा कोल्हन — देखिए—भारत का राजपत्र, 1881, भाग 1, पृ० 504 ।
आगरा प्रान्त की तराई — देखिए—भारत का राजपत्र, 1876, भाग 1, पृ० 505 ।

संथाल परगना न्याय और विधि विनियम, 1899 (1899 का 3) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना द्वारा संथाल परगना पर, प्रवृत्त हुआ घोषित किया गया । — देखिए—कलकत्ता राजपत्र, 1901, भाग 1, पृ० 301 ।

यह अधिनियम, हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1974 के अधिनियम सं० 3 द्वारा, हिमाचल प्रदेश में संशोधित किया गया ।

[2] इस अधिनियम की सभी अभिव्यक्तियां और उपबन्ध घोड़ों पर लागू होंगे तथा मंजिली गाड़ियां खींचने में नियोजित अन्य सभी पशुओं पर भी लागू होंगे, देखिए धारा 21 के नीचे ।

[3] 1898 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा "परन्तु यह कि 20 मील से अधिक की दूरी की यात्रा के लिए सामान्यतया प्रयोग न की जाने वाली गाड़ियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा" के रूप में वाचित धारा 1 के परन्तुक का निरसन किया गया ।

[4] "मजिस्ट्रेट" की परिभाषा के लिए, देखिए—अधोलिखित धारा 21 ।

[5] 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची II द्वारा "मुख्य" शब्द निरसित किया गया ।

[6] 1898 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 द्वारा मूल पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

5. विशिष्टियों का गाड़ी के सहजदृश्य भाग पर रंग से अंकित किया जाना—मंजिली गाड़ी के अनुज्ञप्त होने पर उसके स्वत्वधारी द्वारा ऐसी मंजिली गाड़ी के किसी सहजदृश्य भाग पर अंग्रेजी भाषा और लिपि में अनुज्ञप्ति की संख्या और अनुज्ञप्ति की अन्य समस्त विशिष्टियां स्पष्टत: रंग से अंकित की जाएंगी ।

6. विशिष्टियों को बिना रंग से अंकित किए गाड़ी को भाड़े पर चलाने के लिए शास्ति—अनुज्ञप्त मंजिली गाड़ी का स्वत्वधारी, जो पिछली पूर्ववर्ती धारा में निर्दिष्ट प्रकार से धारा 3 में निहित विशिष्टियों को ऐसी गाड़ी पर रंग से अंकित किए बिना ऐसी मंजिली गाड़ी को भाड़े पर उठाता है, एक सौ रुपए से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

7. अनुज्ञप्त गाड़ी को भाड़े पर उठाने के लिए शास्ति—जो कोई किसी मंजिली गाड़ी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्त हुए बिना भाड़े पर उठाएगा, वह प्रथम दोषसिद्धि पर एक सौ रुपए से अनधिक जुर्माने से और तत्पश्चात् किसी दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

8. जो संख्या अनुज्ञप्ति द्वारा उपबन्धित है उससे कम पशुओं द्वारा गाड़ी खींची जाने के लिए अथवा उससे अधिक यात्रियों का प्रवहरण करने के लिए शास्ति—किसी अनुज्ञप्त मंजिली गाड़ी का स्वत्वधारी अथवा स्वत्वधारी का अभिकर्ता अथवा चालक जो जानबूझकर ऐसी गाड़ी को घोड़ों की कम संख्या से खींचा जाने देता है या जो जानबूझकर यात्रियों की अधिक संख्या को या सामान के अधिक वजन को ऐसी मंजिली गाड़ी से वहन करता है, प्रथम दोषसिद्धि पर, सौ रुपए से अनधिक जुर्माने से और तत्पश्चात् किसी दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

हर ऐसे मामले में, जिसमें कि यह सिद्ध होता है कि ऐसी मंजिली गाड़ी अनुज्ञप्ति में उपबन्धित से कम घोड़ों द्वारा चलाई गई अथवा अधिक संख्या में यात्रियों का प्रवहरण उसमें किया गया अथवा सामान का अधिक वजन वहन किया गया, ऐसी गाड़ी के स्वत्वधारी की बाबत यह बात कि उसने जानबूझकर ऐसे अपराध को होने दिया, तब के सिवाय अभिनिर्धारित की जाएगी, जब कि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी मौनानुकूलता से नहीं किया गया था और उसने अपराध का किया जाना रोकने के लिए हर युक्तियुक्त सावधानी बरती थी और युक्तियुक्त व्यवस्था की थी ।

9. पशुओं के प्रति क्रूर व्यवहार के लिए शास्ति—जो कोई व्यक्ति ऐसे किसी घोड़े को जो गाड़ी को खींचने में लगा है या गाड़ी में जुता हुआ है, क्रूरता से पीटेगा या पिटवाएगा या पिटवाने देगा, बुरी तरह से बरतेगा, बरतवाएगा या बरतवाया जाने देगा, सामर्थ्य से अधिक हांकेगा, हंकवाएगा या हंकवाया जाने देगा अथवा दुरुपयुक्त करेगा, दुरुपयुक्त कराएगा या दुरुपयुक्त करवाया जाने देगा, यंत्रणा देगा, यंत्रणा दिलवाएगा या यंत्रणा दिलवाए जाने देगा अथवा ऐसे घोड़े को जो रोग, आयु, घावों के कारण या अन्य किसी कारण से ऐसी मंजिली गाड़ी में चलाए जाने योग्य नहीं है, मंजिली गाड़ी में जोतेगा या चलाएगा, वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए सौ रुपए से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

10. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण—ऐसा कोई मजिस्ट्रेट अथवा [1]*** पुलिस आयुक्त, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में कोई मंजिली गाड़ी चलाई जाती है अथवा जिसने किसी मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञप्ति दी है, ऐसी मंजिली गाड़ी की अनुज्ञप्ति उस दशा में रद्द कर सकेगा जिसमें कि उसे प्रतीत होता है कि ऐसी मंजिली गाड़ी अथवा कोई घोड़ा अथवा कोई अश्वसज्जा जो ऐसी गाड़ी के साथ काम में आती है, काम में लाने योग्य नहीं है अथवा लोक आवास या उपयोग के लिए असुरक्षित अथवा अन्यथा ठीक नहीं है ।

11. धारा 5 के उपबन्धों के अनुपालन न करने के लिए शास्ति—किसी स्टेशन पर अथवा स्थान पर, जहां कोई मजिस्ट्रेट रहता है और विद्यमान है, कोई पुलिस अधिकारी ऐसे मजिस्ट्रेट के कार्यालय के दो मील की सीमा के भीतर घोड़ा जुती हुई मंजिली गाड़ी उस दशा में अभिगृहीत कर सकेगा जिसमें कि ऐसी मंजिली गाड़ी की अनुज्ञप्ति की पूर्ण विशिष्टियां इस अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों की रीति से ऐसी मंजिली गाड़ी पर स्पष्टत: रंग से अंकित नहीं है ।

घोड़ा जुती ऐसी गाड़ी अविलम्ब पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाई जाएगी जो तुरन्त ऐसे पुलिस अधिकारी का परिवाद सुनने और अवधारित करने के लिए कार्यवाही करेगा और यदि तत्पश्चात् ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा कोई जुर्माना अधिरोपित किया जाता है और ऐसा जुर्माना चुका दिया जाता है, तो ऐसी मंजिली गाड़ी और घोड़े को तुरन्त छोड़ दिया जाएगा; और यदि ऐसा जुर्माना नहीं चुकाया जाता तो ऐसी मंजिली गाड़ी और घोड़ा जुर्माने के चुकाए जाने की प्रतिभूति के रूप में बीस दिन तक निरुद्ध रखे जा सकेंगे, और यदि जुर्माना इसके पूर्व नहीं चुकाया जाता तो उन्हें बेचा जा सकेगा और उसके आगम उक्त जुर्माने को और उन व्ययों और प्रभारों को, जो निरुद्ध और विक्रय में हुए हैं, चुकाने में वहां तक उपयोजित किए जाएंगे (जहां तक ऐसा किया जा सकता हो); और अधिशेष (यदि कोई हो) उसके लिए मांग की जाने पर ऐसी मंजिली गाड़ी और घोड़े के स्वत्वधारी को दे दिया जाएगा और यदि ऐसे अधिशेष की मांग ऐसे विक्रय से अगले दो मास की अवधि के भीतर नहीं की जाती तो वह राज्य को समपहृत हो जाएगा ।

यदि ऐसे विक्रय के आगम उपरोक्त जुर्माने और व्यय तथा प्रभार को पूर्णत: चुका नहीं देते तो अतिशेष की वसूली एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति से की जा सकेगी ।

12. चालकों के अवचार के लिए शास्ति—यदि किसी मंजिली गाड़ी का कोई चालक अथवा उसकी देखरेख करने वाला कोई व्यक्ति नशे से, उपेक्षा से अथवा अनियंत्रित अथवा बहुत तीव्र गाड़ी चलाने या किसी अन्य अवचार से किसी यात्री या अन्य व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालेगा अथवा ऐसी मंजिली गाड़ी के स्वत्वधारी या किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाएगा या खतरे में डालेगा, तो इस प्रकार अपराध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सौ रुपए से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

---

[1] 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची II द्वारा "मुख्य" शब्द निरसित किया गया ।

13. शास्ति कब स्वत्वधारी से वसूलीय होगी—जब कभी मंजिली गाड़ी का चालक या किसी मंजिली गाड़ी के खींचने में जुते हुए किसी घोड़े का स्वामी इस अधिनियम के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध करेगा जिसे करने पर इस अधिनियम द्वारा शास्ति अधिरोपित की गई है जो धारा 8 में विनिर्दिष्ट अपराध से भिन्न है और ऐसे चालक या स्वामी का पता नहीं चल पा रहा है अथवा पता चलने पर भी वह पाया नहीं जाता अथवा यदि ऐसे चालक या स्वामी से शास्ति की वसूली नहीं हो सकती है तो, ऐसी गाड़ी का स्वत्वधारी ऐसी प्रत्येक शास्ति के लिए इस प्रकार देनदार होगा मानो वह उस समय जब अपराध किया गया, ऐसी गाड़ी का चालक था या ऐसे घोड़े का स्वामी था :

परन्तुक—परन्तु यदि ऐसा कोई स्वत्वधारी उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसे किसी परिवाद या इत्तिला की सुनवाई होनी है, पर्याप्त साक्ष्य द्वारा समाधान कर देता है कि ऐसे चालक या स्वामी द्वारा अपराध उस स्वत्वधारी के संसर्ग या ज्ञान के बिना किया गया था और प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई लाभ या फायदा या प्रसुविधा न तो उससे स्वत्वधारी को हुआ और न हो सकता है और उसने ऐसे चालक या स्वामी को खोजने का अपना प्रयास किया था और जहां तक उसकी सामर्थ्य थी उसने उससे शास्ति की राशि की वसूली के लिए सब कुछ कर लिया है तो मजिस्ट्रेट स्वत्वधारी को ऐसी शास्ति से उन्मोचित कर सकेगा और ऐसे चालक या स्वामी का पता चलने पर वह शास्ति उससे उद्गृहीत करेगा ।

14. समन निकाला जाना—जब कभी इस अधिनियम के अधीन वाले किसी अपराध का आरोप किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लगाया जाता है जिसमें ऐसी मंजिली गाड़ी के स्वत्वधारी के नाम समन निकालना आवश्यक है, तब मजिस्ट्रेट ऐसे स्वत्वधारी या उसके निकटतम अभिकर्ता को सीधे ही समन निकालेगा और डाक से ऐसा समन भेज सकेगा जो उसकी उचित तामील समझी जाएगी ।

पत्र की रजिस्ट्री डाकखाने में होगी और प्रथमत: रजिस्ट्री का व्यय सरकार द्वारा उठाया जाएगा किन्तु मुकदमे में व्यय के रूप में भारित किया जा सकेगा ।

उस दूरी का ध्यान में रखते हुए जितनी तक समन भेजा जा रहा है पूर्वोक्त स्वत्वधारी या उसके अभिकर्ता की हाजिरी के लिए युक्तियुक्त समय दिया जाएगा ।

15. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—इस अधिनियम के अधीन उपगत सब शास्तियों का न्यायनिर्णयन उपर्युक्त किसी मजिस्ट्रेट अथवा [1]*** पुलिस आयुक्त द्वारा होगा और इस अधिनियम के अधीन ऐसे मजिस्ट्रेट अथवा [1]*** पुलिस आयुक्त द्वारा दिए गए सब आदेश अन्तिम होंगे ।

16. शास्तियों आदि की वसूली—इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित सब शास्तियां अथवा इस अधिनियम की धारा 11 में वर्णित किसी जुर्माने, व्यय या प्रभार का अतिशेष उस दशा में जिसमें कि वह चुकाया नहीं गया है या उसकी वसूली नहीं हुई है, उस मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित वारण्ट से, जिसने वह लगाया या लगाई है, अपराधी की जंगम सम्पत्ति के करस्थम् और विक्रय से उद्गृहीत हो सकेगा ।

17. करस्थम् के वारण्ट के लौटने तक अपराधी पकड़ा और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जा सकेगा—उस दशा में जिसमें कि ऐसी शास्तियां तत्क्षण नहीं चुका दी जातीं, ऐसा मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकेगा कि अपराधी को पकड़ लिया जाए और तब तक, जब तक कि ऐसे करस्थम् के वारण्ट पर सुविधाजनक रूप से तामीली की रिपोर्ट नहीं दे दी जाती, सुरक्षित अभिरक्षा में तब के सिवाय निरुद्ध रखा जाए, जब कि अपराधी ने ऐसे स्थान और समय पर हाजिर होने के लिए, जो करस्थम् वारण्ट के लौटाए जाने के लिए नियत है प्रतिभूति ऐसे मजिस्ट्रेट के समाधान के लिए दे दी है ।

18. करस्थम् के अपर्याप्त होने पर अपराधी को कारावास—यदि ऐसे वारण्ट के लौटकर आने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पर्याप्त करस्थम् नहीं प्राप्त हो सकता है जिससे ऐसी शास्ति उद्गृहीत की जा सके और वह तत्काल चुका नहीं दिया जाता है, या यदि अपराधी की संस्वीकृति से या अन्यथा मजिस्ट्रेट को समाधान प्रदान करने वाले रूप में प्रतीत होता है कि उसके पास पर्याप्त सामान अथवा जंगम वस्तुएं नहीं हैं जिससे यदि करस्थम् का वारण्ट निकाला गया तो ऐसी शास्ति उद्गृहीत की जा सकेगी, तो ऐसा मजिस्ट्रेट अपने हस्ताक्षरित वारण्ट से अपराधी [2]*** को जेल भेज सकेगा, जहां वह ऐसे अधिकारी के विवेकानुसार कारावास में उस दशा में, जिसमें कि शास्ति की राशि पचास रुपए से अनधिक है, दो कलेण्डर मास से अनधिक किसी अवधि के लिए, और उस दशा में, जिसमें कि राशि एक सौ रुपए से अनधिक है, चार कलेण्डर मास से अनधिक किसी अवधि के लिए, और किसी अन्य दशा में, छह कलेण्डर मास से अनधिक किसी अवधि के लिए कारागार के सुपुर्द कर सकेगा और राशि के चुका दिए जाने पर उपर्युक्त प्रत्येक मामले में वह सुपुर्दगी पर्यवसेय होगी ।

19. [यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों से शास्ति और व्यय की वसूली ।]—विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसित ।

20. अधिकारिता—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का परिवाद किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष होने पर यह साबित करना आवश्यक न होगा कि अपराध ऐसे मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी की स्थानीय सीमाओं के भीतर हुआ ।

[3]**20क. नियम बनाने की शक्ति**—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों और उद्देश्यों को अपने प्रशासन के अधीन राज्यक्षेत्रों या उक्त राज्यक्षेत्रों के किसी भाग में कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

---

[1] 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची II द्वारा "मुख्य" शब्द निरसित किया गया ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "परन्तु वह कोई यूरोपीय ब्रिटिश नागरिक न हो" शब्दों का लोप किया गया ।

[3] 1898 के अधिनियम सं० 1 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम—

(क) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियों के प्ररूप, उनके लिए देय राशि और वे शर्तें जिन पर वे दी जा सकेंगी, और वे मामले जिनमें वे प्रतिसंहृत की जा सकेंगी, विहित करेंगे;

(ख) मंजिली गाड़ियों का और उन्हें खींचने के लिए काम में लाए जाने वाले पशुओं को निरीक्षण के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(ग) उन मंजिलों की संख्या और दूरी जहां कि मंजिली गाड़ियों में पशु चलाए जाएंगे तथा वह रीति जिससे वे घोड़े जीने लगें और गाड़ी में जुते रहेंगे, विनियमित कर सकेंगे ।

(3) इस धारा के अधीन किसी नियम को बनाने में राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि उसका कोई उल्लंघन जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा ।]

21. निर्वचन-खण्ड—"मजिस्ट्रेट" इस अधिनियम में "मजिस्ट्रेट" पद के अन्तर्गत सभी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्ति आते हैं ।

[1]* * * * *

अधिनियम का उन सब पशुओं को लागू होना जो गाड़ी खींचने के लिए काम में आते हैं—[2][वे सब पद और उपबन्ध जो ऐसे अधिनियम में घोड़ों को लागू हैं, ऐसे सभी अन्य पशुओं को भी लागू होंगे जो ऐसी किसी गाड़ी को खींचते हैं जिसका उपयोग मामूली तौर पर राज्यों के किसी स्थान को या वहां से यात्रियों को भाड़े पर ले जाने के प्रयोजन के लिए होता है ।]

[3]* * * * *

[4][**22. अधिनियम का विस्तार**—पश्चात्वर्ती अधिनियमों से यथा संशोधित इस अधिनियम का विस्तार [5][उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय जो पहली नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे,] सम्पूर्ण भारत पर है, किन्तु यह उन गाड़ियों पर लागू नहीं होगा जो मामूली तौर पर किसी नगरपालिका या छावनी या ऐसे स्थान की सीमाओं में चलाई जाती हैं, जहां उनके विनियमन के लिए तत्समय प्रवृत्त कोई विधि है ।

23. छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति—राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार किन्हीं गाड़ियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के सब या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकेगी ।]

———

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "ब्रिटिश भारत" की परिभाषा का लोप किया गया ।

[2] 1876 के अधिनियम सं० 16 की धारा 1 द्वारा तीसरे वाक्य के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची II द्वारा "संख्या" और "लिंग" से सम्बन्धित परिभाषाओं का निरसन किया गया ।

[4] 1898 के अधिनियम सं० 1 की धारा 5 द्वारा धारा 22 और धारा 23 जोड़ी गई । 1870 के अधिनियम सं० 14 की धारा 1 और अनुसूची, भाग II द्वारा इस अधिनियम के, जैसा कि मूल रूप में पारित किया गया था, प्रारम्भ संबंधी मूल धारा 22 का निरसन किया गया ।

[5] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।